



भारत की बुनियादी शिक्षा प्रणाली और उसके विकास का एक अध्ययन

जयपाल सिंह^{1*}, डॉ. दिलीप कुमार शुक्ला²

1. रिसर्च स्कॉलर, श्रीकृष्ण विश्वविद्यालय, छतरपुर, म.प्र., भारत

kyoqish221@gmail.com,

2. प्रोफेसर, श्रीकृष्ण विश्वविद्यालय, छतरपुर, म.प्र., भारत

सारांश: यह अध्ययन भारत की बुनियादी शिक्षा प्रणाली और उसके ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की गहराई से समीक्षा करता है। शिक्षा शब्द दिन-प्रतिदिन की प्रक्रियाओं में इसके अनुप्रयोग के अनुसार अलग-अलग समझ देता है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द 'एड्यूसर' से हुई है जिसका अर्थ है 'पालन करना' या 'पोषण करना'। दूसरे शब्दों में 'शिक्षा' का अर्थ है शिक्षण या प्रशिक्षण का कार्य। सरल अर्थ में, शिक्षा का अर्थ है ज्ञान और अनुभव का अधिग्रहण और साथ ही कौशल, आदतों और दृष्टिकोणों का विकास जो किसी व्यक्ति को पूर्ण और भौतिक जीवन जीने में मदद करते हैं। शिक्षा का क्षेत्र एक सामाजिक संस्था है जो प्रत्येक मनुष्य को परिवार, समुदाय और समाज के अच्छे सदस्य के रूप में तैयार करती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर बनाना और उन्हें अपने कौशल और आत्मविश्वास को विकसित करने देना है। अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि बुनियादी शिक्षा के विकास में क्या प्रमुख चुनौतियाँ रही हैं और इनसे निपटने के लिए किस प्रकार की नीतियाँ और कार्यक्रम प्रभावी साबित हुए हैं। अंततः यह अध्ययन भारत की शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु समावेशी, नवाचार-आधारित एवं टिकाऊ दृष्टिकोण की सिफारिश करता है।

मुख्य शब्द: शिक्षा प्रणाली, ऐतिहासिक, शिक्षा नीतियाँ, शिक्षा विकास, भारत

----- X -----

परिचय

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर बनाना और उन्हें अपने कौशल और आत्मविश्वास को विकसित करने देना है। यह छात्रों को उनके जीवन में कई चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है और उन्हें कमाने में भी मदद करता है। जितना अधिक ज्ञान प्राप्त होता है, व्यक्तियों के लिए करियर और व्यक्तिगत विकास में बेहतर संभावनाओं को प्राप्त करने के उतने ही अधिक अवसर खुलते हैं। यह विभिन्न स्थितियों के लिए दिमाग को खोलता है, जो जीवन की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने और दुनिया के बारे में गंभीरता से सोचने में मदद करता है। हालाँकि, आधुनिक शिक्षा प्रणाली आधुनिक दुनिया की समस्याओं से निपटने के लिए छात्रों को प्रभावी ढंग से तैयार करने में विफल रही है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में विफल रही है। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी की शिक्षा योजना एक नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का एक वैकल्पिक उपाय है। बुनियादी शिक्षा पर गांधीजी के सिद्धांत सत्य, अहिंसा, शांति और प्रेम के अपने विचारों से पूरी दुनिया को प्रेरित करने में सक्षम होंगे।

भारत में शिक्षा प्रणाली का इतिहास

भारत में आज हम जिस शिक्षा प्रणाली को देखते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि यह ऋग्वेदिक काल से चली आ रही है। शुरुआती दौर में, गणित ही एकमात्र विषय था जिसके माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, जिसका अर्थ है सीखने के लिए तार्किक दृष्टिकोण। बाद के काल में पढ़ाए जाने वाले विषय पाली व्याकरण, बौद्ध साहित्य, सामाजिक मूल्य और तर्क थे। उस समय शिक्षा निःशुल्क थी। हिंदू समाज के लिए, शिक्षा पाठशालाओं या गुरुकुलों में दी जाती थी, जहाँ छात्रों को 'गुरु' या शिक्षक की सेवा करनी होती थी और अपने पाठ सीखने होते थे। वहीं, मुस्लिम समाज में मदरसे और मकतब थे। जब भारत ब्रिटिश उपनिवेश बन गया, तो शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा प्रणाली पर काम करने या उसे बेहतर बनाने के बारे में नहीं सोचा। बाद में यूरोप से आने वाले मिशनरियों ने देश में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत की। सार्जेंट कमीशन और हंटर कमीशन वे आयोग हैं जिन्हें अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्थापित किया था। उत्तर-औपनिवेशिक काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुत सुधार हुआ। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को मोटे तौर पर चार विशिष्ट स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। वे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा हैं। आधुनिक भारत ने 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षित करना अनिवार्य कर दिया है। उच्च शिक्षा का तात्पर्य उच्चतर माध्यमिक स्तर को पूरा करने के बाद की शिक्षा से है। देश में उच्च शिक्षा स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्टडॉक्टरेट स्तर पर होती है।

भारत में शिक्षा के चरण

भारत में शिक्षा प्रणाली को प्री-प्राइमरी स्तर, प्राथमिक या प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर और डॉक्टरेट तथा पोस्टडॉक्टरेट स्तरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक स्तर का विवरण नीचे पाया जा सकता है।

- **प्री-प्राइमरी स्तर:** इस चरण में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा शामिल है। जबकि विभिन्न क्षेत्रों और स्कूलों के लिए शब्दावली भिन्न हो सकती है, यह चरण ज्यादातर प्लेग्रुप से शुरू होता है और ऊपरी किंडरगार्टन के साथ समाप्त होता है।
- **प्राथमिक स्तर:** यह अपेक्षाकृत लंबा चरण है और स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक को कवर करता है। कक्षा 1 से 5 प्राथमिक स्तर का गठन करती है और कक्षा 6 से 8 उच्च प्राथमिक स्तर का गठन करती है।
- **माध्यमिक स्तर:** इस चरण में स्कूल में कक्षा 9 और 10 शामिल हैं।
- **उच्चतर माध्यमिक स्तर:** इस चरण में स्कूल में कक्षा 11 और 12 शामिल हैं।
- **स्नातक स्तर:** इस चरण में कॉलेज में किए जाने वाले 3 साल के डिग्री पाठ्यक्रम शामिल हैं।
- **स्नातकोत्तर स्तर:** स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में की जा सकती है।
- **डॉक्टरेट और पोस्टडॉक्टरेट स्तर:** डॉक्टरेट और पोस्टडॉक्टरेट स्तरों के लिए शोध की आवश्यकता होती है और इन्हें विश्वविद्यालयों में किया जाता है।

भारत में शिक्षा योजनाएँ

भारत में शिक्षा प्रणाली में लक्षित आबादी के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की शैक्षिक योजनाओं की शुरुआत की गई है। शिक्षा प्रणाली और इसलिए साक्षरता दर में सुधार के लिए शुरु की गई और कार्यान्वित की गई सभी ऐसी योजनाओं का उल्लेख नीचे किया गया है:

- 1) **निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009):** यह अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए पारित किया गया था।
- 2) **शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने की योजना:** यह योजना विदेशी देशों के साथ संचार एवं विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से अनुसंधान करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास एवं संवर्धन में सहायता के लिए शुरू की गई थी।
- 3) **प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन:** इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- 4) **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान:** यह योजना 2013 में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में रणनीतिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित है।
- 5) **निष्ठा 2.0:** यह योजना छात्रों में तार्किक एवं आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकतानुसार शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू की गई थी।
- 6) **प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना:** यह योजना भारत सरकार द्वारा देश भर में स्थित 14,000 स्कूलों में बेहतर शिक्षा की सुविधा के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य इन स्कूलों में शिक्षा में सुधार और उत्थान करना है ताकि उन्हें देश के अन्य केंद्र-नियंत्रित और राज्य-नियंत्रित स्कूलों के बराबर लाया जा सके।
- 7) **मध्याह्न भोजन योजना:** सितंबर 2021 में इस प्रणाली का नाम बदलकर पीएम पोषण या प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया। यह योजना सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दोपहर का भोजन प्रदान करती है।
- 8) **प्रज्ञाता:** यह योजना एनसीईआरटी द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों के रूप में स्कूलों को डिजिटल शिक्षा के लिए सलाह जारी करती है।

भारत में शिक्षा प्रणाली के समक्ष चुनौतियाँ

भारत में शिक्षा प्रणाली के सर्वांगीण विकास के बावजूद, इस प्रणाली के सामने कुछ चुनौतियाँ हैं। सुधारात्मक उपाय चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं और भारत की शिक्षा प्रणाली को दुनिया की शीर्ष रैंकिंग प्रणालियों के बराबर ला सकते हैं।

इस प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियाँ हैं:

- 1) **बुनियादी ढांचे की कमी:** ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश स्कूलों में बुनियादी ढांचे की कमी के कारण छात्रों का सीखने के मामले में अपर्याप्त विकास

होता है।

2) **रटने की पद्धति:** यह भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रमुख कमियों में से एक है। शिक्षा के मामले में शीर्ष रैंकिंग वाले देशों की तुलना में, भारत में शिक्षा प्रणाली रटने की तकनीक के कारण पीछे है।

3) अधिकांश स्कूलों में पढ़ाने के तरीके पुराने हो चुके हैं, हालाँकि कुछ में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। रटने की शिक्षा पर ज़ोर देने से छात्रों में रुचि पैदा नहीं हो पाती है, जिससे उन्हें आधा-अधूरा ज्ञान मिलता है।

4) **व्यावहारिक अनुप्रयोग की कमी:** स्कूल स्तर पर दिए जाने वाले अधिकांश पाठों में किसी भी तरह के प्रदर्शन या व्यावहारिक अनुप्रयोग का अभाव होता है। इससे छात्रों में अपर्याप्त ज्ञान होता है जो लंबे समय में उनके शैक्षिक विकास में बाधा डालता है।

5) **महंगी शिक्षा:** शीर्ष निजी स्कूल देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में शुमार हैं। हालाँकि, खर्च बहुत ज़्यादा है, जिससे अधिकांश आबादी के लिए इन स्कूलों का खर्च उठाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव हो जाता है।

6) **शिक्षक-छात्र अनुपात:** यह एक ऐसा कारक है जो छात्रों के बीच उचित सीखने में लगातार बाधा डालता है। कक्षा में छात्रों की संख्या काफी अधिक है, जिससे शिक्षकों के लिए प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है।

भारत में साक्षरता दर

भारत में शिक्षा प्रणाली तीन केंद्रीय समितियों - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा नियंत्रित और पर्यवेक्षण की जाती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)। प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा मंत्रालय मौजूद है। भारत में 37000 से अधिक कॉलेज और 700 विश्वविद्यालय हैं। भारत में सात साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों की साक्षरता दर 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर 82.14% है जबकि भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% है। भारत में उच्च शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात या सामान्य नामांकन अनुपात 26.30% है। सकल नामांकन अनुपात एक मीट्रिक है जो उच्च शिक्षा के लिए 18 वर्ष से 23 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत में आधुनिक शिक्षा: विभिन्न नीतियों के माध्यम से प्रणाली का विकास

ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की थी। मैकाले के मिनट्स से लेकर वुड के डिस्पैच से लेकर सैडलर कमीशन, 1904 की भारतीय शिक्षा नीति जैसे कई आयोगों ने औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। राधाकृष्णन समिति 1948-49 में राधाकृष्णन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इसने स्वतंत्र भारत की ज़रूरतों के आधार पर शिक्षा प्रणाली को ढाला। स्वतंत्रता-पूर्व भारतीय शिक्षा मूल्य प्रणाली औपनिवेशिक स्वामियों की सेवा कर रही थी। मैकालेवाद को भारतीय मूल्य प्रणाली से बदलने की आवश्यकता थी। (मैकालेवाद शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उपनिवेशवादी शक्ति की विदेशी संस्कृति के नियोजित प्रतिस्थापन के माध्यम से स्वदेशी संस्कृति को खत्म करने की नीति है)। आयोग में उल्लिखित कुछ मूल्य थे:

- बुद्धि और ज्ञान।
- सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य: वांछित सामाजिक व्यवस्था जिसके लिए युवाओं को शिक्षित किया जा रहा है।
- जीवन में उच्च मूल्यों के प्रति प्रेम।
- नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण।

स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली इसी मूल्य ढांचे के अनुरूप विकसित हुई। वर्तमान समय में, जहाँ राजनीतिक विचारधाराओं द्वारा शिक्षा के शिक्षण को अपहृत करने और शिक्षा के व्यावसायीकरण से मूल्य प्रणालियों के नष्ट होने का खतरा मंडरा रहा है, आयोग द्वारा प्रचारित मूल्यों को धूल चटा देना सराहनीय है। केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूके) द्वारा हाल ही में जारी एक विवादास्पद परिपत्र, जिसमें निर्देश दिया गया है कि पीएचडी छात्रों के लिए शोध विषय 'राष्ट्रीय प्राथमिकताओं' के अनुसार होने चाहिए, और 'अप्रासंगिक विषयों' और 'विशेषाधिकार क्षेत्रों' में शोध को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, इसका एक उदाहरण है।

कोठारी आयोग

यदि राधाकृष्णन समिति ने भारतीय शिक्षा प्रणाली की मूल्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार की, तो कोठारी आयोग ने ही इसके लिए बुनियादी ढांचा प्रदान किया। आयोग ने निम्नलिखित प्रावधान किए:

- 10+2+3 पैटर्न पर शैक्षिक प्रणाली का मानकीकरण।
- कार्य अनुभव और सामाजिक/राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
- कॉलेजों को पड़ोस के कई स्कूलों से जोड़ना।
- सभी के लिए अवसरों की समानता और सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण हासिल करना।
- सामाजिक या धार्मिक अलगाव के बिना पड़ोस की स्कूल प्रणाली और प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा को एकीकृत करने वाली एक स्कूल परिसर प्रणाली।
- भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना।
- शिक्षण कर्मचारियों को नौकरी पर प्रशिक्षण और पेशे में प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए शिक्षकों की स्थिति को बढ़ाने के प्रयास।

1985 तक शिक्षा पर व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2.9% से बढ़ाकर 6% करना। इस समिति की रिपोर्ट ने राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1968 का मार्ग प्रशस्त किया जिसने भारत में शिक्षा प्रणाली के आगे विकास के लिए आधार और रोडमैप प्रदान किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968

- नीति में राष्ट्रीय एकीकरण और अधिक सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए “आमूलचूल पुनर्गठन” और शैक्षिक अवसरों की समानता का प्रावधान किया गया।
- शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक बढ़ाया गया।
- शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता की व्यवस्था की गई।
- त्रि-भाषा सूत्र: राज्य सरकारों को हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा, अधिमानतः दक्षिणी भाषाओं में से एक, और गैर-हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ हिंदी का अध्ययन लागू करना चाहिए। सभी भारतीयों के लिए एक समान भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी को समान रूप से प्रोत्साहित किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1985

- नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करना और विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है।
- देश भर में प्राथमिक विद्यालयों में सुधार के लिए “ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड” की शुरुआत।
- इयू. मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किया गया।
- ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित “ग्रामीण विश्वविद्यालय” मॉडल को अपनाना।

टी.एस.आर.सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट

- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई): चार से पांच वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार घोषित किया जाना चाहिए।
- ईसीसीई सभी राज्यों में असंगत है। इसलिए सभी सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, जिससे निजी क्षेत्र के बजाय सरकार द्वारा प्री-स्कूल शिक्षा की सुविधा मिल सके।
- परीक्षा सुधार: नो डिटेंशन की नीति केवल कक्षा पांच तक ही लागू होनी चाहिए, न कि कक्षा आठ तक।
- शिक्षक प्रबंधन: शिक्षकों की कमी, अनुपस्थिति और शिकायतों में भारी वृद्धि हुई है।

- स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्ड के गठन की आवश्यकता है।
- चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए।
- शिक्षा में आईसीटी: सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और शिक्षा क्षेत्र का अपर्याप्त एकीकरण है।
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण: राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे को बढ़ाया जाना चाहिए।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन स्थानीय अवसरों और संसाधनों के अनुरूप होना चाहिए।
- व्यावसायिक शिक्षा के लिए औपचारिक प्रमाणन को पारंपरिक शिक्षा प्रमाणपत्रों के बराबर लाना।
- अखिल भारतीय शिक्षा सेवा।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संवर्धन और प्रबंधन अधिनियम (एनएचईपीएमए): उच्च शिक्षा में अलग-अलग विनियामकों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा अलग-अलग कानूनों को उक्त अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
- यूजीसी और एआईसीटीई जैसी मौजूदा विनियामक संस्थाओं की भूमिका को संशोधित किया जाना चाहिए।
- मौजूदा मान्यता निकायों को समाहित करने वाला राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी)।

महात्मा गांधी के अनुसार बुनियादी शिक्षा

गांधीजी ने शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली की खोज करने का प्रयास किया है जिसे बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा की यह प्रणाली उनके जीवन दर्शन और मूल्यों के अनुरूप है। उन्होंने शिक्षा को कभी औपचारिक साक्षरता का माध्यम नहीं कहा। साक्षरता केंद्रीय शिक्षा नहीं हो सकती। यह केवल उन साधनों में से एक है जिसके द्वारा एक पुरुष या महिला को शिक्षित किया जा सकता है। उन्होंने शिक्षा को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में लिया, जिसमें दो बुनियादी उद्देश्य शामिल थे, ज्ञान प्राप्त करना और स्वतंत्रता की भावना। ज्ञान की शुरुआत प्रश्न पूछने या स्वस्थ जिज्ञासा से होती है। यह किसी भी तरह के सीखने की शर्त है। इसके अलावा गांधीजी अपने शिक्षा दर्शन में सुझाव देते हैं कि शिक्षा व्यक्ति को मुक्त कर सकती है। मुक्ति से उनका तात्पर्य सभी प्रकार की दासता से मुक्ति से है। गांधीजी शिक्षा को एक आजीवन प्रक्रिया के रूप में लेते हैं और इसे औपचारिक स्कूली शिक्षा या डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं रखते हैं। यह मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण और समग्र विकास के लिए है। यह व्यक्ति की शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता और उनके सामंजस्यपूर्ण विकास से जुड़ा है। महात्मा गांधी ने 1937 में अपने समाचार पत्र 'हरिजन' में शिक्षा के लिए एक अच्छी तरह से तैयार दृष्टिकोण में बुनियादी शिक्षा (नई तालीम) की अपनी योजना प्रस्तावित की। शिक्षा योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए 22 और 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को वर्धा शैक्षिक सम्मेलन कहा जाता है और गांधीजी ने स्वयं इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी।

शिक्षा की भारतीय अवधारणा

ऋग्वेद के अनुसार, "शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है"। इस परिभाषा के अनुसार, शिक्षा की प्रक्रिया में, बच्चे को उस आत्मा का एहसास करना सीखना चाहिए जिसके लिए उसने जन्म लिया है और समाज में दूसरों की मदद भी करनी चाहिए-

भगवद-गीता के अनुसार, "ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाली कोई चीज़ पृथ्वी पर नहीं है। यदि कोई बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, तो व्यक्ति ब्रह्म के ज्ञान के साथ ईश्वर / अनंत काल की ओर जीवन व्यतीत करेगा।"

शंकराचार्य ने कहा, "शिक्षा स्वयं का बोध है"। आत्म-साक्षात्कार के बिना शिक्षा नहीं होती। शिक्षा का लक्ष्य तभी पूरा होता है जब व्यक्ति अपने बारे में जानता है।

कौटिल्य के अनुसार, "शिक्षा देश के लिए प्रशिक्षण और राष्ट्र के प्रति प्रेम है"। उन्होंने राष्ट्रवाद और देशभक्ति के महत्व पर जोर दिया, जिसे शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। प्रेम और सकारात्मक सोच के बिना इस अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। यदि आत्म-अनुशासन है, तो यह किसी भी चीज के लिए काम आ सकता है, खुद के लिए, देश के लिए और भगवान के लिए।

विवेकानंद के अनुसार, "शिक्षा का अर्थ है मनुष्य में पहले से ही विद्यमान दिव्य पूर्णता की अभिव्यक्ति।" शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से उस दिव्य चिंगारी को जलाया जाता है और उसके माध्यम से दिव्यता की लौ उच्चतर स्तरों तक बढ़ती है।

महात्मा गांधी के अनुसार, "शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालना।" हमारे राष्ट्रपिता ने भी

सुझाव दिया कि शिक्षा केवल विषय-वस्तु को रटना नहीं है। इसमें सिर, हाथ और हृदय को एक साथ प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने देश में बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की, जहाँ स्कूल में इन तीनों का विकास किया जाता है।

हमारे देश में जीवन का उद्देश्य पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत व्यापक है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति, या मोक्ष प्राप्त करना है। इसलिए शिक्षा की प्रक्रिया को बच्चे को चार आश्रमों - ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास से गुजरने में मदद करनी चाहिए, जिसके माध्यम से वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वेदों से लेकर श्री अरविंदों तक आध्यात्मिकता पर अलग-अलग शब्दों में जोर दिया गया है।

17वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा की कथाएँ

17वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा के बारे में एक इतालवी खोजकर्ता का अभिलेख वे [भारतीय] अपने बच्चों को पढ़ना-लिखना सिखाने के लिए विशेष रूप से उत्सुक और चौकस रहते हैं। उनके साथ शिक्षा हर परिवार में एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण व्यवसाय है। उनकी कई महिलाओं को पढ़ना-लिखना सिखाया जाता है। ब्राह्मण आम तौर पर स्कूल मास्टर होते हैं, लेकिन कोई भी जाति शिक्षण का अभ्यास कर सकती है, और अक्सर करती भी है। बच्चों को हिंसा के बिना और एक विशेष रूप से सरल प्रक्रिया द्वारा निर्देश दिया जाता है। छात्र एक-दूसरे के मॉनीटर होते हैं, और अक्षर एक छड़ी या रेत पर उंगली से खींचे जाते हैं। पढ़ना और लिखना एक ही समय में और एक ही प्रक्रिया से सीखा जाता है। हालाँकि शिक्षण का यह तरीका केवल प्रारंभिक है। यदि छात्र को सीखने की उच्च शाखाओं का अध्ययन करना है, तो उसे इन प्राथमिक विद्यालयों से हटा दिया जाता है, जहाँ पढ़ने, लिखने और हिसाब-किताब की कलाएँ सीखी जाती हैं, और अधिक वैज्ञानिक गुरुओं के अधीन रखा जाता है। यह इन प्राथमिक विद्यालयों की देन है कि भारत में श्रमिक वर्ग अपनी शिक्षा प्राप्त करता है। ... मैं मंदिर के बरामदे में बैठकर मनोरंजन कर रहा था, छोटे लड़कों को एक अजीब तरीके से अंकगणित सीखते हुए देख रहा था, जिसका वर्णन मैं यहाँ करूँगा। वे चार थे, और सभी ने गुरु के सामने एक ही पाठ लिया, उसे कंठस्थ करने के लिए, और उसी तरह अपने पिछले पाठों को दोहराने के लिए, और उन्हें न भूलने के लिए, उनमें से एक ने एक निश्चित निरंतर स्वर के साथ संगीतमय गायन किया (जिसमें स्मृति में गहरी छाप छोड़ने की शक्ति है) पाठ का एक हिस्सा सुनाया; उदाहरण के लिए, "एक अपने आप में एक बनाता है"; और जब वह ऐसा बोल रहा था, तो उसने वही संख्या लिखी, किसी भी तरह के कलम से नहीं, न ही कागज़ पर, बल्कि (कागज़ को व्यर्थ न खर्च करने के लिए) अपनी उंगली से ज़मीन पर, उस उद्देश्य के लिए फ़र्श पर बारीक रेत बिखरी हुई थी; पहले लड़के ने जो गाया था उसे लिखने के बाद, बाकी सभी ने मिलकर वही गाया और लिखा। फिर पहले लड़के ने गाया, और पाठ का दूसरा हिस्सा लिखा; उदाहरण के लिए, दो अपने आप में दो बनाते हैं, जिसे बाकी सभी ने उसी तरह दोहराया; और इसी तरह क्रम से आगे। जब फुटपाथ आकृतियों से भर जाता था, तो वे उन्हें हाथ से हटा देते थे, और यदि आवश्यकता होती थी, तो उस पर थोड़ा सा रेत छिड़क देते थे, जिसे वे आगे लिखने के लिए अपने सामने रखते थे। और इस तरह वे तब तक करते रहे जब तक अभ्यास जारी रहा; जिस तरह से उन्होंने एक को बताया, उन्होंने कागज़, कलम या स्याही को खराब किए बिना पढ़ना और लिखना सीखा, जो निश्चित रूप से एक सुंदर तरीका है। मैंने उनसे पूछा, यदि वे पाठ के किसी भाग में भूल जाते हैं या गलती कर देते हैं, तो उन्हें कौन सुधारता और पढ़ाता है, क्योंकि वे सभी बिना किसी गुरु की सहायता के विद्वान थे; उन्होंने मुझे उत्तर दिया, और सच कहा, कि चारों के लिए एक ही भाग को भूलना या गलती करना संभव नहीं था, और उन्होंने इस तरह एक साथ अभ्यास किया, अंत तक, कि यदि कोई गलत हो गया, तो दूसरा उसे सही कर सकता है। वास्तव में सीखने का एक सुंदर, आसान और सुरक्षित तरीका।

मालाबार में शिक्षा और साहित्य के बारे में पिएत्रो डेला वैले के विवरण से। पिएत्रो डेला वैले (1586-1652) एक इतालवी खोजकर्ता थे जिन्होंने 1623 और 1624 के बीच भारत की यात्रा की और सूरत, गोवा और मालाबार तट का दौरा किया। स्रोत: धर्मपाल, द ब्यूटीफुल ट्री।

18वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा का विवरण

भारत में युवाओं की शिक्षा बहुत सरल है, और यूरोप की तुलना में इतनी महंगी भी नहीं है। बच्चे नारियल के पेड़ की छाया में इकट्ठा होते हैं; जमीन पर पंक्तियों में बैठते हैं, और अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से रेत पर अपने वर्णमाला के तत्वों को रेखांकित करते हैं, और फिर जब वे अन्य अक्षर बनाना चाहते हैं तो बाएं हाथ से उसे चिकना करते हैं। लेखन गुरु ... जो अपने विद्यार्थियों के सामने खड़ा होता है, उनकी गलतियों की जांच करता है; उनकी गलतियाँ बताता है, और उन्हें बताता है कि उन्हें कैसे सुधारना है। पहले तो वह खड़े होकर उनके पास जाता है; लेकिन जब युवा लोग लिखने में कुछ तत्पर हो जाते हैं, तो वह बाघ या हिरण की खाल पर या नारियल के पेड़ के पत्तों से बनी चटाई पर या जंगली अनानास (जिसे कैडा कहा जाता है) पर पैर मोड़कर बैठ जाता है। मेगस्थनीज की गवाही के अनुसार, लेखन सिखाने की यह विधि ईसा के जन्म से दो सौ साल पहले भारत में शुरू की गई थी, और अभी भी इसका अभ्यास किया जा रहा है। पृथ्वी पर शायद ही किसी अन्य जाति ने अपने प्राचीन रीति-रिवाजों का इतना पालन किया हो जितना भारतीयों ने किया है।

वुड का 1854 का प्रेषण

वुड का डिस्पैच एक बहुत ही महत्वपूर्ण शैक्षिक दस्तावेज है और भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसका एक अनूठा स्थान है। इसने भारतीय लोगों की शिक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से कंपनी पर डाल दी और स्पष्ट रूप से कहा कि इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह ज्ञात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को हर बीस साल बाद नवीनीकृत किया जाना था। 1833 में चार्टर एक्ट को नवीनीकृत करते समय ब्रिटिश संसद ने भारत में शिक्षा पर खर्च की जाने वाली राशि को एक लाख से बढ़ाकर एक मिलियन प्रति वर्ष कर दिया। जब 1853 में नवीनीकरण का समय आया, तो भारत

में शिक्षा कई समस्याओं से ग्रस्त थी। कंपनी के निदेशकों ने भारत में शिक्षा के लिए एक निश्चित नीति बनाने का फैसला किया।

डिस्पैच ने वास्तव में पश्चिमी साहित्य और ज्ञान को बढ़ावा दिया और सरकारी कार्यालयों ने अंग्रेजी में शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी। शिक्षा नियोजन और प्रबंधन योजनाएँ केवल काले और सफेद रंग में ही रहीं। इसने सामान्य शिक्षा की उपेक्षा की। केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को ही शिक्षा मिलती थी। स्वदेशी स्कूल उपेक्षित रहे। सरकारी पदों के संबंध में अंग्रेजी पैटर्न पर शिक्षित लोगों को प्राथमिकता दी गई।

एम.आर. परांजपे ने कहा कि, "लेखकों का लक्ष्य नेतृत्व के लिए शिक्षा, भारत के औद्योगिक पुनरुद्धार के लिए शिक्षा, मातृभूमि की रक्षा के लिए शिक्षा, संक्षेप में, एक स्वशासित राष्ट्र के लोगों के लिए आवश्यक शिक्षा नहीं था।"

पांचों प्रान्तों में शिक्षा विभाग खोले गए, परन्तु वे शिक्षा के वास्तविक हित को बढ़ावा नहीं दे सके। अनुदान-सहायता प्रणाली उचित अर्थों में संचालित नहीं हुई, अर्थात् धन की कमी, धन के वितरण में अनियमितता तथा निजी तौर पर संचालित विद्यालयों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया सदैव बना रहा।

वुड्स डिस्पैच का ईसाई मिशनरियों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया था; पुस्तकालयों में ईसाई धार्मिक पुस्तकें छात्रों को आसानी से उपलब्ध करा दी जाती थीं।

तीनों विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बनाए गए थे और सीनेट में सदस्यों को मनोनीत करने की सरकार की नीति पक्षपातपूर्ण थी। इसलिए उच्च शिक्षा का भारतीय परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं था डिस्पैच केवल क्लर्कों और एकाउंटेंटों का एक वर्ग तैयार करने में सफल रहा।

अमीर लोगों ने अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजा और सरकार ने धीरे-धीरे देशी स्कूलों को वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया और इस तरह इन स्कूलों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। यह छात्रों में चरित्र, पहल और नेतृत्व विकसित करने में विफल रहा।

"मैकालेवाद" और आधुनिक भारत

20वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरे स्वतंत्र राष्ट्र भारत में मैकाले का नाम उपनिवेशवाद की बुराइयों का प्रतीक बन गया है। मैकाले और ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली को भारतीयों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने के लिए दोषी ठहराया गया है जो अपनी विशिष्ट विरासत पर गर्व नहीं करती।

2001 में "अंग्रेजी शिक्षा का उपनिवेशीकरण" विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कपिल कपूर ने घोषणा की कि आज भारत में मुख्यधारा की अंग्रेजी भाषा शिक्षा का एक उपोत्पाद "विरासत में मिली शिक्षा को हाशिए पर धकेलना" और शिक्षाविदों को पारंपरिक भारतीय विचार पद्धतियों से उखाड़ फेंकना है, जिससे उनमें "आत्म-निंदा (हीनभावना) की भावना" पैदा हो रही है। लेखक राजीव मल्होत्रा ने "150 साल पहले प्रसिद्ध लॉर्ड मैकाले द्वारा शुरू की गई भारतीय शिक्षा नीति के जारी रहने" पर दुख जताया है, क्योंकि देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों से क्लासिक भारतीय साहित्य को लगभग निर्वासित कर दिया गया है और "विशिष्ट भारतीय यूरोसेंद्रिज्म" का दावा करने वाले लेखकों की "नई नस्ल" का उदय हुआ है। मैकालेवाद के अवशेषों को कई हिंदू राष्ट्रवादी भारत में ब्रिटिश नव-औपनिवेशिक नियंत्रण के तंत्र के रूप में भी देखते हैं।

भारत में शिक्षा आयोग की समीक्षा

हंटर आयोग जिसे आधिकारिक तौर पर भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, 1882 आधुनिक भारत के इतिहास में पहला शिक्षा आयोग था। वुड्स डिस्पैच की सिफारिशों से पहले भारत सरकार ने डब्ल्यू.डब्ल्यू. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था। हंटर आयोग का नाम अध्यक्ष डब्ल्यू.डब्ल्यू. हंटर के नाम पर रखा गया था। हंटर आयोग को भारत में शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने और आगे की प्रगति के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करने का कार्यभार सौंपा गया था।

अध्यक्ष हंटर को निर्देश दिया गया कि आयोग का उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को इस तरह से पुनर्गठित करना है कि सार्वजनिक शिक्षा की विभिन्न शाखाएँ एक साथ और समान महत्व के साथ आगे बढ़ सकें। इसलिए मुख्य उद्देश्य भारत में प्राथमिक या प्राथमिक शिक्षा की स्थिति की जांच करना था। साथ ही भारत सरकार द्वारा नियुक्त हंटर आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को विकसित करने और सुधारने के साधनों पर विशेष जोर दिया गया था। हालाँकि आयोग मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की जांच तक ही सीमित था। भारतीय विश्वविद्यालयों की सामान्य कार्य प्रणाली और शैक्षिक प्रक्रिया को हंटर आयोग के प्रभार से बाहर रखा गया था।

हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की स्थिति के अलावा 19वीं सदी में भारत में प्रचलित माध्यमिक शिक्षा की स्थिति पर भी जोर दिया। माध्यमिक शिक्षा के लिए आयोग ने एक सिद्धांत निर्धारित किया था। आयोग के अनुसार, दो विभाग होने चाहिए - साहित्यिक शिक्षा जो विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा की ओर ले जाती है और दूसरी व्यावहारिक प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक प्रशिक्षण छात्रों को व्यावसायिक क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा।

आयोग ने सुझाव दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी उद्यम को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आयोग ने सहायता अनुदान प्रणाली के विस्तार और उदारीकरण, स्थिति और विशेषाधिकारों के मामले में सहायता प्राप्त स्कूलों को सरकारी संस्थानों के बराबर मान्यता देने की सिफारिश की। आयोग ने यह भी घोषणा की कि सरकार को जल्द से जल्द माध्यमिक और कॉलेजिएट शिक्षा के प्रत्यक्ष प्रबंधन से हट जाना चाहिए।

उन्नीसवीं सदी के पहले भाग में सरकार की शिक्षा नीतियों को लेकर विवादों के कारण राजनीतिक अशांति बढ़ी। राजनीतिक घटनाक्रमों ने देश की शिक्षा प्रणाली को बाधित किया। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कि शिक्षा का विस्तार उचित तरीके से नहीं किया गया और निजी हस्तक्षेप ने शिक्षा के स्तर को खराब कर दिया। राष्ट्रवादी राय ने कहा कि सरकार निरक्षरता को कम करने के लिए अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है और शिक्षा के गिरते स्तर को भी स्वीकार किया।

कर्जन ने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा प्रणाली सहित प्रशासन की सभी शाखाओं को पुनर्गठित करने का प्रयास किया। कर्जन ने दक्षता और गुणवत्ता के नाम पर शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने को उचित ठहराया। हालांकि कर्जन के शैक्षिक सुधारों से हंटर आयोग की कोई भी सिफारिश पूरी नहीं हुई। उनके सुधारों का उद्देश्य वास्तव में शिक्षा को सीमित करना और शिक्षित मन को सरकार की वफादारी के लिए अनुशासित करना था।

सैडलर्स आयोग ने भारत में शिक्षा प्रक्रिया की एक नई योजना शुरू की। इसके अलावा 1919 की मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के कारण, शिक्षा विभाग को विभिन्न प्रांतों में लोकप्रिय मंत्रियों के नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्र सरकार ने शैक्षिक सुधारों के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रुचि लेना बंद कर दिया। भारत सरकार में शिक्षा विभाग को अन्य विभागों के साथ मिला दिया गया। सबसे ऊपर केंद्र सरकार द्वारा पाँच करोड़ का अनुदान बंद कर दिया गया। वित्तीय कठिनाइयों ने प्रांतीय सरकारों को शैक्षिक विस्तार या सुधार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को शुरू करने से रोक दिया। इन सभी खतरों के बावजूद यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ, जो ज्यादातर परोपकारी प्रयासों से हुआ। भारत में शिक्षा की स्थिति को विकसित करने के लिए कई आयोग बनाए गए।

हार्टोग समिति, 1929 शिक्षा की मात्रात्मक वृद्धि ने बाद में भारतीय स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को कम कर दिया। पूरी प्रणाली और शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में लगातार असंतोष था। भारतीय वैधानिक आयोग ने पूरी प्रणाली का सर्वेक्षण करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया। एक लंबी समीक्षा के बाद हार्टोग समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हार्टोग समिति ने मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर जोर दिया। शिक्षा के विस्तार के बजाय आयोग ने शिक्षा प्रक्रिया के समेकन और सुधार की सिफारिश की। माध्यमिक शिक्षा के लिए आयोग ने बताया कि प्रणाली में मैट्रिकुलेशन परीक्षा का प्रभुत्व था। परिणामस्वरूप कई अयोग्य छात्र इसे विश्वविद्यालय शिक्षा का मार्ग मानते थे। परिणामस्वरूप शिक्षा प्रणाली बाधित हुई। इसलिए आयोग ने प्रवेश की चयनात्मक प्रणाली की सिफारिश की।

वर्धा में बुनियादी शिक्षा की योजनाएँ भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और सात प्रांतों में लोकप्रिय गन्ना सत्ता में आया। मंत्रालयों ने वर्ष 1937 से काम करना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने की मांग की। 1937 में, महात्मा गांधी ने अपने पत्र "द हरिजन" में बुनियादी शिक्षा की योजना का प्रस्ताव रखा। बुनियादी शिक्षा की इस योजना को वर्धा की बुनियादी शिक्षा योजना के रूप में जाना जाता था। बुनियादी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत गतिविधि के माध्यम से सीखना था। ज़ाकिर हुसैन समिति ने बुनियादी शिक्षा की योजना का विवरण तैयार किया। इसके अलावा समिति ने कई शिल्पों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम की भी योजना बनाई। समिति ने शिक्षकों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, प्रशासन और परीक्षा के लिए भी सुझाव दिए। बुनियादी शिक्षा योजना का मूल मैन्युअल उत्पादक कार्य था। बुनियादी शिक्षा की योजना में स्थानीय भाषाओं में सात साल का पाठ्यक्रम शामिल था। 1939 में युद्ध छिड़ने और कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे के कारण योजना को स्थगित कर दिया गया।

निष्कर्ष

भारत की बुनियादी शिक्षा प्रणाली का विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक कई महत्वपूर्ण चरणों का अनुभव किया है। गुरुकुल प्रणाली से प्रारंभ होकर औपनिवेशिक शिक्षा नीतियों और स्वतंत्रता के पश्चात् बनाई गई योजनाओं तक, यह यात्रा भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को प्रतिबिंबित करती है। आधुनिक समय में, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी नवाचारों का समावेश बुनियादी शिक्षा को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। इसके अलावा, शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के समन्वित प्रयास, संसाधनों का सही उपयोग और समावेशी दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक हैं। अंततः, भारत की बुनियादी शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए आवश्यक है कि शिक्षा को केवल साक्षरता तक सीमित न रखा जाए, बल्कि यह सामाजिक जागरूकता, कौशल विकास और व्यक्तित्व निर्माण का साधन बने। सतत प्रयासों और समावेशी नीतियों के माध्यम से ही एक समान, सशक्त और टिकाऊ शिक्षा प्रणाली का निर्माण संभव हो सकेगा, जो भारत के भविष्य के विकास की नींव रखेगा।

संदर्भ

1. अयंगर, एस., और शुक्ला, एन. (2018) गांधी के विचार परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का वित्तपोषण। भारतीय सार्वजनिक नीतियों में मुद्दे, 19-36।
2. देवदास, आर.पी., और राजम, वी. (2005) उच्च शिक्षा का गांधीवादी दर्शन। गांधीवादी विकल्प: आत्म-साक्षात्कार के लिए शिक्षा। एड. सुरेश मिश्रा। नई दिल्ली: कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, 93-110।
3. श्रीवास्तव, ए.पी., और कुमार, आर. (2021) प्रीस्कूल शिक्षा और बाल विकास पर महात्मा गांधी का दर्शन: एक प्रतिबिंब। *vf/kxe vad 21 % fnlEcj* ISSN: 2394-773X
4. बेहरा, एच. (2016) पाठ्यक्रम बुनियादी शिक्षा के विशेष संदर्भ में महात्मा गांधी का शैक्षिक दर्शन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और अनुसंधान जर्नल, 2(1), 112-115।
5. जेना, पी. के. (2020) महात्मा गांधी और बुनियादी शिक्षा। महात्मा गांधी पवित्र कर्म से अपवित्र मृत्यु तक (भाग-1) शीर्षक से संपादित पुस्तक में प्रकाशित संपादक- डॉ. चंदन कुमार, प्रकाशक- अनु बुक्स, 2020, आईएसबीएन-978-81-947224-7-2 (<https://anubooks.com/product/mahatma-gandhi-from-holy-deeds-to-unholy-death/>)
6. श्वेता, डी. (2017) महात्मा गांधी और बुनियादी शिक्षा के बारे में उनका विचार: एक ऐतिहासिक मूल्यांकन। इंटरनेशनल जर्नल एडवांस इन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, 5(1)। इंटरनेशनल जर्नल एडवांस इन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज ऑनलाइन उपलब्ध: www.ijassh.com
7. चेनी, जी.आर., रुज़ी, बी.बी., और मुरलीधरन, के. (2005) भारतीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा। अमेरिकी कार्यबल के कौशल पर नए आयोग के लिए तैयार, 228(53), 128।
8. चटर्जी, आई., ली, आई., और रॉबिटेल्, एम.सी. (2018) भारत की प्राथमिक विद्यालय शिक्षा नीतियों और परिणामों का 2005-2011 का अवलोकन। विश्व विकास, 106, 99-110। मै
9. थ्यू, ए. (2015) भारत में उच्च शिक्षा पर आयोग और समितियाँ: प्रमुख मुद्दों पर परिप्रेक्ष्य और सिफारिशें। भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2015 (पृष्ठ 41-62) में। रूटलेज इंडिया।
10. पात्रा, जी. (2021) महात्मा गांधी का शैक्षिक और सामाजिक दर्शन। बीएफसी प्रकाशन।
11. फुकन, टी.के. (2021) महात्मा गांधी का शैक्षिक दर्शन और वर्तमान संदर्भ में इसकी आवश्यकता। जर्नल ऑफ रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, 9(12), 16-18।
12. रीना, ए.पी.पी. (2018) औपनिवेशिक काल से पहले और बाद के भारत में महात्मा गांधी की शैक्षिक नीति। ओस्विटनी डिस्कर्स। (4), 91-104।